

प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 पर 240 मीटर पी0ए0सी0 मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, .....

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 पर 240 मीटर पी0ए0सी0 सेतु का निर्माण 0.986 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.986 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला ( प्रयोक्ता एजेन्सी ) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला ) की दिनांक 24.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी तहसील डोईवाला .....अध्यक्ष
2. श्री दीपिका चेतन शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेश कुमार, देहरादून सदस्य 24-01-2020
3. श्री महेश कुमार सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला .....सदस्य/सचिव
4. श्री प्रभाती दिव्या भारती बी0डी0सी0 क्षेत्र 05 कोठी ग्रामचक्र .....सदस्य Dr. Jyoti

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 पर 240 मीटर पी0ए0सी0 सेतु का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.986 है0 वन भूमि लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेश कुमार, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 पर 240 मीटर पी0ए0सी0 सेतु का निर्माण के निर्माण हेतु 0.986 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- डोईवाला

जनपद- देहरादून

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- डोईवाला

जनपद- देहरादून

अधिशासी अभियन्ता,

रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0

डोईवाला देहरादून



परियोजना विवरण :- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०एस०सी० मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील- डोईवाला , जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०एस०सी० सेतु का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.986 है० आरक्षित वन भूमि, 0.000 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल 0.986 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/अधिशाली अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला ( प्रयोक्ता एजेन्सी) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थानो द्वारा दिनांक 24.12.2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थानो के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/ अधिशाली अभियन्ता, लो०नि०वि० डोईवाला ( प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



अधिशाली अभियन्ता,  
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०  
डोईवाला देहरादून



प्रारूप-30.4

परियोजना विवरण :- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी 0 3 पर 240 मीटर पीएससी मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

दिनांक 24/12/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- थानो

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुव्यपाव सिंह	
2	रमेश चन्द्र कुमारी	
3	विनोद चन्द्र कुमारी	
4	रमेश चन्द्र कुमारी	
5	मनमोहन सिंह	
6	अनिल कुमारी	
7	पंकज मिश्रा	
8	आनंद कर्मा	
9	अविनाश सोलंकी	
10	चंद्र प्रकाश मिश्रा	
11	शम्भू राम	
12	अनिल मिश्रा	
13	जितेंद्र कर्मा	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

ग्राम प्रधान

अधिशाली अभियन्ता,  
राठमा खण्ड, लोनिवि  
डोईवाला देहरादून





प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Dehradun

No---Camp / Memo-1

Dated---12.02.2020

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.986 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department Uttarakhand/Executive Engineer, NH. Division, P.W.D. Doiwala (Dehradun)** (name of user agency) for **Construction of 240 Mtr Span PSC Bridge At Km-3 of Thano-Bhogpur Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Thano village in Doiwala Tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.986 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to annexure 30.4
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
देहरादून।

अविज्ञाती अभियन्ता,  
खण्ड, लोनिवि  
डोईवाला देहरादून



Form-II  
For Project other linear projects  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Dehradun

No. Camp/memo-1

\*\*\*\*\*

Dated 12.02.2020

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 1 0.986 hectares forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttarakhand/ Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for Construction of 240 metre Span PSC Bridge at Km 3 of thano Bhogpur motor Road in Dehradun District falls within jurisdiction of Gram Panchayat Thano in Doiwala Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement for right under the FRA has been carried out for the entire 0.986 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- (a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication , in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
- (b) The each of concerned Gram Sabha(s), has been certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure to annexure....
- (c) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it:
- (e) The rights of Primitive Tribal/Groups and pre- agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. :- as above.

Signature  
(Full name and official seal of the District collector)

[Signature]  
[Official Seal]  
[Stamp: जिलाधिकारी, देहरादून]



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Dehradun District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Ashish Kumar Srivastava I.A.S., District Magistrate, Dehradun on dated 12-02-2020 at time 1:00 P.M. at Dehradun in which application claiming rights in Thano, Bhogpur Villages, area measuring **0.986 hectare** for the Construction of **240 Mtr Span PSC Bridge At Km-3 of Thano-Bhogpur Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Doiwala sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 12-02-2020

प्रभागीय वसतिभारती  
देहरादून वस प्रभागीय  
देहरादून

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
देहरादून

Hemlata

निला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून

अधिसासी अभियन्ता,  
रा.मा. खण्ड, ले. नि. वि.  
डोईवाला देहरादून